

# Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

\*Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** from **154-Mavli** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

**Pushkar Lal Dangi**

**village-asana, post-khemli, dist. udaipur, (raj.) tehsil-ghassa-313201**  
[sponsored by **Indian National Congress** ] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :

Date : 03-12-2023



८५  
(SHRIKANT SINGH)  
रिटर्निंग ऑफिसर  
Returning Officer (प.म.) मावली  
154-मावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र  
Legislative Assembly Constituency

निर्वाचनो का संचालन नियम 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग  
(नियम 64 देखिए)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

154-मावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

पुष्कर लाल डाँगी (नाम)

गाँव-आसना, पोस्ट-खेमली, तहसील-घासा, जिला-उदयपुर (राज.) (पता)

इंडियन नेशनल काँग्रेस

मान्यता प्राप्त /  
रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक पार्टी का नाम

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : उदयपुर  
दिनांक 03 दिसम्बर 2023

हस्ताक्षर  
विभागीय अधिकारी  
(एस.डी.एम.) मावली  
154-मावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

